

परिशिष्ट - ए३

4

जहाँ जिसमें मोटिवेशन से संबंधित विशेषज्ञों/ वक्ता/ रोटा मॉडल को आमंत्रित
 किया जाए। तत्संबंध में नीति बनाई जावे।

~~संलग्न - पापुल "प" प्रपत्र ए~~

1. नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु मापदंड का निर्धारण

(क) जियोटेगिंग विधि का उपयोग कर 20/30 कि.मी. की परिधि
 में अनाच्छादित स्थान की चिन्हित करना।

(ख) चिन्हित स्थान के समीप के स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले
 विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना- 500 की उपलब्धता पर
 महाविद्यालय प्रारंभ करना।

2. नवीन संकाय/विषय को प्रारंभ करने के लिए मापदंड

(क) स्नातक के 100 विद्यार्थियों की उपलब्धता पर स्नातकोत्तर
 स्तर.

(ख) 12वीं के 200 विद्यार्थियों की उपलब्धता पर स्नातक स्तर.

(डॉ. ए. एस. यादव)
 उप सचिव,
 मध्य प्रदेश शासन
 उच्च शिक्षा विभाग
 भिलाई